	8/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रति डायरी-पत्र शामिल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक में लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम [illegible] आदेश सुनाया गया।
		[signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः—19/12 तारीख रजुः—31.7.12

उनवान

मृतक केदारलाल पुत्र जमुनालाल जाति महाजन निवासी करौली

1/1— चमेली देवी बेवा केदार

1/2— मदनमोहन 1/3— महेश 1/4— तारादेवी 1/5— विद्या 1/6— सत्यवती 1/7— सीता	पुत्र/ पुत्रीयान केदार	जाति महाजन निवासीयान करौली राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक केदारलाल वादी सायल

——वादी/सायल

बनाम

राजेन्द्र पुत्र द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी चटीकना करौली

—— प्रतिवादी/गैरसायल

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (ए)

—::**निर्णय**::— दिनांकः— 8/1/2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी दावा श्रीमानजी के यहा पेंडिग है जिससे धारा 212 दरख्वास्त मुकदमा सं0 124/88 पेश होने पर 22/7/91 को गैरसायल को पाबंद किया गया था [illegible] वह [illegible]यल के कब्जे काश्त खसरा नम्बर 4261 में ताः फैसला [illegible] किसी [illegible] की रूकावट मदाखलत मजाहमत नही करें न पत्थर डाले। गैरसायल इरादतन इस आदेश की अवहेलना करने का आदी रहा है। उसने खसरा नं0 4261 में 6बाई4 फुट के हिस्से में कल दिनांक 29/7/12 इतवार के दिन पत्थरों की धांग के उपर ईट लगा कर ईट की पक्की चुनाई करके एक दुकान बना ली है बनाते समय मना किया तो नही माना सायल ने फोटो भी खिचवाई और रातो रात शटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.01 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested

9/1/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

व दुकान पर छत डाल दी है। इसलिये इस का मौका दिखा कर तहसीलदार करौली को मौका देखने के लिये कमिश्नर नियुक्त किया जावे और बाद जाँच उस राजेन्द्र को दण्डित किया जावे और राजेन्द्र की प्रोपर्टी को अटेच किया जावे और उसे सिविल जेल भेजा जावे। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वंय उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना–पत्र कर कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र सायल ने गलत तथ्यों पर पेश किया है। पत्थरों की खान गैरसायल की पूर्व की होना सायल का स्वीकृत है। खसरा नंबर 4261 कस्बा करौली वादी के कब्जे की जमीन में सन् 1974 से चूने का भट्टा लगाकर तीन तरफ से पांच फीट उंची दीवार बनाकर सायल ने अपने कब्जे की आराजी की हदबंदी कर रखी है तथा इस आराजी में वादी ने खातेदारी सरेण्डर करके चूने का भट्टा लगा रखा है तथा दीवार के बहार पूर्व तथा पश्चिम दिशा में सड़क की सरकारी पटरी स्थित है। जिस पर वादी काबिज नहीं है। सड़क की पटरी की जमीन पर गैरसायल ने सन् 1974 से पूर्व से ही पत्थर का फड लगाकर व्यवसाय कर रहा था। स्वीकृत रूप वादी के अनुसार ही गैरसायल का दायरी दावा से पूर्व से ही पत्थर की गाडी उतारना जाहिर किया है। जो इस बात का स्वीकृत है कि विवादित स्थल पर गैरसायल दायरी दावे से पूर्व ही फड पर काबिज था। सायल खसरा नंबर 4261 का खातेदार नहीं रहा है। इस संबंध में राजस्थान सरकार तथा केदार सायल के बीच मुकदमें वाजी चलती रही थी। जिसमें दायरी दावे के बाद मुकदमा नंबर 14 सवाईमाधोपुर 88 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम केदारलाल के निर्णय दिनांक 29.5.1990 के अनुसार सरकारी अपील पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से सायल का उक्त आराजी पर अवैध कब्जा माना जा चुका है। सायल उक्त दीवार के अन्दर के भूमि का खातेदारी समाप्त कर अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है। उक्त आराजी का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.01 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested

सायल द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 5.8.25 को साक्ष्य सायल बंद की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

गैरसायल ने अपनी साक्ष्य में स्वंय गैरसायल राजेन्द्र के बयान एनएडब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्व कराये है एवं अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। गैरसायल साक्ष्य बंद की गई।

बहस वकील सायल व गैरसायल सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का बहस में कथन है कि उनवानी दावा श्रीमानजी के यहा पेंडिग है जिससे धारा 212 दरख्वास्त मुकदमा सं0 124/88 पेश होने पर 22/7/91 को गैरसायल को पाबंद किया गया था कि वह सायल के कब्जे काश्त खसरा नम्बर 4261 में ताः फैसला दावा किया भी प्रकार की रूकावट मदाखलत मजाहमत नही करें न पत्थर डालें। गैरसायल इरादतन इस आदेश की अवहेलना करने का आदी रहा है। उसने खसरा नं0 4261 में 6बाई4 फुट के हिस्से में कल दिनांक 29/7/12 इतवार के दिन पत्थरों की धांग के उपर ईट लगा कर ईट की पक्की चुनाई करके एक दुकान बना ली है बनाते समय मना किया तो नही माना सायल ने फोटो भी खिचवाई और रातो रात शटर व दुकान पर छत डाल दी है। इसलिये इस का मौका दिखा कर तहसीलदार करौली को मौका देखने के लिये कमिश्नर नियुक्त किया जावे और बाद जॉच उसे राजेन्द्र को दण्डित किया जावे और राजेन्द्र की प्रोपर्टी को अटेच किया जावे और उसे सिविल जेल भेजा जावे। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायल का बहस में कथन है कि पत्थरों की खान गैरसायल की पूर्व की होना सायल का स्वीकृत है। खसरा नंबर 4261 कस्बा करौली वादी के कब्जे की जमीन में सन् 1974 से चूने का भट्टा लगाकर तीन तरफ से पांच फीट उंची दीवार बनाकर सायल ने अपने कब्जे की आराजी की हदबंदी कर रखी है तथा इस आराजी में वादी ने खातेदारी सरेण्डर करके चूने का भट्टा लगा रखा है तथा दीवार के [illegible] तथा पश्चिम दिशा में सड़क की सरकारी पटरी स्थित है [illegible] नहीं है। सड़क की पटरी की जमीन पर गैरसायल [illegible] ही पत्थर का फड लगाकर व्यवसाय कर रहा था। स्वीकृत रूप वादी [illegible] अनुसार ही गैरसायल का दायरी दावा से पूर्व से ही पत्थर की गाडी उतारना जाहिर किया है। जो इस बात का स्वीकृत है कि विवादित स्थल पर गैरसायल दायरी दावे से पूर्व ही फड पर काबिज था। सायल खसरा नंबर 4261 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.01 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खातेदार नहीं रहा है। इस संबंध में राजस्थान सरकार तथा केदार सायल के बीच मुकदमें बाजी चलती रही थी। जिसमें दायरी दावे के बाद मुकदमा नंबर 14 सवाईमाधोपुर 88 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम केदारलाल के निर्णय दिनांक 29.5.1990 के अनुसार सरकारी अपील पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से सायल का उक्त आराजी पर अवैध कब्जा माना जा चुका है। सायल उक्त दीवार के अन्दर के भूमि का खातेदारी समाप्त होकर अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है। उक्त आराजी का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। सायल ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। जिससे साबित होता हो कि गैरसायल द्वारा स्टे आदेश दिनांक 22.7.91 की अवहेलना की हो। सायल अपने प्रार्थना–पत्र को साबित करने में असफल रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र सायल विरूद्व गैरसायल खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/1/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.01 13:03:02 IST
Reason: SelfAttested